विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-11 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
11 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के अन्दर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली/300 यूनिट तक मुफ्त दिये जाने हेतु कोई कार्ययोजना है? यदि हॉ, तो क्या उक्त कार्ययोजना का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	जी नहीं।
(ख) यदि नहीं, तो क्यों?	यद्पि प्रदेश के अंदर अत्यंत निर्धन विद्युत उपभोक्ताओं को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बिजली के बिल निर्गत होने से पहले औसत लागत दर (ए0सी0ओ0एस0) के सापेक्ष राहत देने की व्यवस्था है। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली सहित लाईफ लाईन उपभोक्ताओं (ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत भार-1 कि0वा0 से कम है तथा खपत 100 यूनिट प्रति माह से कम है) एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं (एल.एम.वी. 01 और 05) को पावर कारपोरेशन की विद्युत आपूर्ति लागत दर से 50 प्रतिशत कम दर पर बिजली दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्रदेश सरकार द्वारा रू0 13,600 करोड़ की शासकीय सब्सिडी प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न उपभोक्ता वर्गों हेतु लागू टैरिफ का निर्धारण विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 61, 62, 64 एवं 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स से आपत्तियॉ/सुझाव लेकर व्यापक जनसुनवाई करते हुए किया जाता है।

ए0के0 शर्मा
ऊर्जा मंत्री।